



Apply for Non-Resident Samagra ID User Manual


अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी हेतु आवेदन
संबंधित मैनुअल

अन्य राज्य के निवासी द्वारा समग्र आईडी आवेदन संबंधित प्रक्रिया :

1. यह सुविधा केवल मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए है, सिस्टम द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के रूप में व्यक्ति की पहचान आधार में दर्ज प्रदेश/राज्य के नाम से होगी।
2. समग्र पोर्टल पर अन्य राज्य के निवासी ,जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में निवासरत है,निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी हेतु आवेदन किया जा सकता हैं।
3. अन्य राज्य के निवासी निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
 - a. म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - b. रोज़गार संबंधी
 - c. रोज़गार पंजीयन हेतु
 - d. बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - e. पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - f. ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
 - g. जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - h. भूमि संबंधी लेन देन
 - i. भू-अभिलेख सम्बन्धी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

विस्तृत प्रक्रिया

1. आवेदक को समग्र पोर्टल (<https://samagra.gov.in>) पर जाना होगा, और **अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें** पर क्लिक करना होगा।



The screenshot shows the Samagra Portal homepage with the following sections:

- समग्र आईडी जाने**
 - समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी
 - सदस्य आईडी से जानकारी देखें
 - मोबाइल नंबर से
 - जिलेवार आवेदनों की पेजेंसी रिपोर्ट
- समग्र में परिवार/ सदस्य पंजीकृत करें**
 - परिवार को पंजीकृत करें
 - सदस्य पंजीकृत करें
 - समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें
 - समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें
 - अन्य राज्य के निवासी समग्र आईडी के लिए आवेदन करें** (highlighted in red)
 - अन्य राज्य के निवासी समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट करें
- समग्र प्रोफाइल अपडेट करें**
 - समग्र आई.डी. से भूमि लिंक करें
 - आधार डी-लिंक के लिए अनुरोध करें
 - e-KYC और भूमि लिंक करें
 - ई-केवायसी और डीबीटी की स्थिति जानें**
 - अपनी प्रोफाइल अपडेट करें
 - डुप्लिकेट सदस्य पहचानें
 - डुप्लिकेट परिवार की पहचान करें
- नगरीय निकाय:- कॉलोनी/वार्ड खोजें**
 - अपना वार्ड (कालोनी) जानें
 - वार्ड के अंतर्गत कालोनी की सूची देखें
 - ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम/वार्ड की सूची देखें
- नवीन/अस्थाई परिवार/ सदस्य खोजें**
 - नवीन/अस्थाई पंजीकृत सदस्य
 - नवीन/अस्थाई पंजीकृत परिवार
 - अस्थाई परिवार आई डी से
- अनुरोध की स्थिति जानें**
 - मोबाइल नंबर द्वारा खोजें
 - परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोजें
 - समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजें

2. अन्य राज्य के निवासी निम्न प्रयोजनों हेतु समग्र आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - a. म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - b. रोजगार संबंधी
 - c. रोजगार पंजीयन हेतु
 - d. बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - e. पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - f. ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
 - g. जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - h. भूमि संबंधी लेन देन
 - i. भू-अभिलेख सम्बन्धी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

3. आवेदक द्वारा निर्देशों को पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक कर, बटन ठीक है पर क्लिक करना होगा।



समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्य प्रदेश शासन

English Helpline No.: 0755-2700800 Email: samagra.support@mp.gov.in

समग्र पोर्टल महत्वपूर्ण सूचना

नमो समग्र मिशन समग्र कार्यक्रम समग्र पोर्टल शासकीय आदेश न निर्देश राबत मैनअल संपर्क पाठलेखी

महत्वपूर्ण सूचना


1. यह सुविधा केवल मध्य प्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए है, सिस्टम द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के रूप में व्यक्ति की पहचान आधार में दर्ज प्रदेश/राज्य के नाम से होगी।
2. अन्य राज्य के निवासी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों से समग्र आईडी हेतु आवेदन कर सकते हैं:
 - i. म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - ii. म.प्र. में रोजगार संबंधी
 - iii. म.प्र. में रोजगार पंजीयन हेतु
 - iv. म.प्र. में बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - v. म.प्र. में पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - vi. म.प्र. में ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
 - vii. म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - viii. म.प्र. में भूमि संबंधी लेन देन
 - ix. म.प्र. में भू-अभिलेख संबंधी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

मेरे द्वारा सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है।

ठीक है

म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु म.प्र. में रोजगार संबंधी

4. आवेदक को अपना मोबाईल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करना होगा।



समग्र आईडी के लिए आवेदन
(मध्यप्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए)

महत्वपूर्ण निर्देश :

- 1 स्टार (*) चिह्नित फील्ड में डेटा दर्ज करना या दिए गए विकल्प का चयन करना अनिवार्य है।
- 2 वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, 16-अंकीय संख्या है, जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी 'प्रमाणीकरण' (e - KYC) सेवाओं का उपयोग किया जाता है, तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है।
- 3 आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
- 4 अन्य राज्य के निवासी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों से समग्र आईडी हेतु आवेदन कर सकते हैं:
 - म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - म.प्र. में रोजगार पंजीयन हेतु
 - म.प्र. में पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - म.प्र. में भू-अभिलेख संबंधी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु
 - म.प्र. में रोजगार संबंधी
 - म.प्र. में बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - म.प्र. में ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
 - म.प्र. में भूमि संबंधी लेन देन

आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें*

ओटीपी भेजें

5. आवेदक द्वारा दर्ज मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

Latest News

● एक समय आईडी होते हुए नवीन समय आईडी बनवाना नियम विरुध है। ● नवीन समय आईडी बनाने से पहले ये जांच ले

समग्र आईडी के लिए आवेदन

(मध्यप्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए)

महत्वपूर्ण निर्देश :

- 1 स्तर (*) चिह्नित फील्ड में डेटा दर्ज करना या दिए गए विकल्प का चयन करना अनिवार्य है।
- 2 वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, 16-अंकीय संख्या है, जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी 'प्रमाणीकरण (e - KYC) सेवाओं का उपयोग किया जाता है, तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है।
- 3 आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
- 4 अन्य राज्य के निवासी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों से समग्र आईडी हेतु आवेदन कर सकते हैं:
 - म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - म.प्र. में रोजगार पंजीयन हेतु
 - म.प्र. में पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - म.प्र. में भू-अभिलेख संबंधी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु

✓ सफलता

आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है।

Close

6. ओटीपी दर्ज कर, "ओटीपी सत्यापित करें" पर क्लिक करना होगा ,यदि 60 सेकंड में आपके मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदक **Resend** ओटीपी पर क्लिक कर पुनः प्राप्त किया जा सकता हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश :

- 1 स्तर (*) चिह्नित फील्ड में डेटा दर्ज करना या दिए गए विकल्प का चयन करना अनिवार्य है।
- 2 वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, 16-अंकीय संख्या है, जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी 'प्रमाणीकरण (e - KYC) सेवाओं का उपयोग किया जाता है, तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है।
- 3 आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
- 4 अन्य राज्य के निवासी केवल निम्नलिखित उद्देश्यों से समग्र आईडी हेतु आवेदन कर सकते हैं:
 - म.प्र. में स्कूल/कॉलेज में दाखिला हेतु
 - म.प्र. में रोजगार पंजीयन हेतु
 - म.प्र. में पानी का कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र हेतु
 - म.प्र. में भू-अभिलेख संबंधी आवेदन एवं प्रकरणों हेतु
 - म.प्र. में रोजगार संबंधी
 - म.प्र. में बिजली कनेक्शन एवं बिल भुगतान
 - म.प्र. में ई-उपार्जन पर पंजीयन हेतु
 - म.प्र. में भूमि संबंधी लेन देन

आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें*

9874674654

Re-generate after : 43

आपके मोबाइल पर प्राप्त ओ टी पी दर्ज करें*

538765

ओटीपी सत्यापित करें
मोबाइल नम्बर बदले

7. आवेदक को समग्र आईडी बनाने के लिए उद्देश्य का चयन कर, अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा एवं आवेदक द्वारा किसी एक विकल्प का चयन कर अपना ई केवाईसी सत्यापित किया जा सकता हैं।

म.प्र. में रोज़गार संबंधी (Employment-related in Madhya Pradesh) ✓

महत्वपूर्ण सूचना : किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर या गलत आधार नंबर दर्ज करना / उपयोग करना या सत्यापित करना, आधार अधिनियम, 2016 के अध्याय 6 के अनुसार दंडनीय अपराध है । ऐसा करते हुए पाए जाने पर आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार तीन साल की कैद या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनों (जो भी लागू हो), का प्रावधान है ।

कृपया आधार या वर्चुअल आईडी में से किसी एक का विकल्प चयन करें

आधार वर्चुअल आई.डी

आधार नंबर दर्ज करें

कृपया प्रमाणीकरण (e -KYC) मोड का चयन करें।

ओटीपी द्वारा बायोमेट्रिक द्वारा

मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण (e -KYC) प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण (e -KYC) के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है । मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूँ ।

ओटीपी भेजे

8. आवेदक द्वारा ई-केवाईसी 2 विकल्प के माध्यम से किया जा सकता है ।

- ओटीपी द्वारा
- बायोमेट्रिक द्वारा

9. ओटीपी विकल्प चयन करने पर ,आधार से रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचना : किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर या गलत आधार नंबर दर्ज करना / उपयोग करना या सत्यापित करना, आधार अधिनियम, 2016 के अध्याय 6 के अनुसार दंडनीय अपराध है । ऐसा करते हुए पाए जाने पर आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार तीन साल की कैद या दस हजार रुपये जुर्माना या दोनों (जो भी लागू हो), का प्रावधान है ।

कृपया आधार या वर्चुअल आईडी में से किसी एक का विकल्प चयन करें

आधार वर्चुअल आई.डी

Message

OTP Sent to the Mobile No - *****!

Close

मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण (e -KYC) प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण (e -KYC) के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है । मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूँ ।

10. आवेदक की आधार से प्राप्त जानकारी स्वतः ही स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी ।

- नाम
- जन्मदिनांक
- लिंग

- आवेदक का आधार से प्राप्त फोटो
- अभिभावक का नाम
- राज्य
- जिला
- पता
- पिन कोड

11. आवेदक को निम्न जानकारी भरना अनिवार्य होगा ।

- पिता जी का नाम/माता जी का नाम
- पति /पत्नी का नाम
- वैवाहिक स्थिति
- ईमेल आईडी

व्यक्तिगत जानकारी

प्रथम नाम (अंग्रेजी)*	मध्य नाम (अंग्रेजी)	अंतिम नाम (अंग्रेजी)*	फोटो आधार के अनुसार
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
प्रथम नाम (हिंदी)*	मध्य नाम (हिंदी)	अंतिम नाम (हिंदी)*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
जन्म तिथि (DD-MM-YYYY)*	लिंग*	आधार के अनुसार अभिभावक का नाम*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
अभिभावक के साथ संबंध*	पिता का नाम*	माता का नाम*	वैवाहिक स्थिति
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

पता संबंधी जानकारी(आधार के अनुसार)

राज्य*	जिला*	पिन कोड*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पता*		
<input type="text"/>		
मोबाइल नंबर*	ईमेल आईडी*	<input checked="" type="checkbox"/> क्या आप संबंधित जानकारी क्वाडसएप पर प्राप्त करना चाहेंगे?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

मैं स्व-प्रमाणित करते हुए यह घोषणा करता/ करती हूँ, कि मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवं मेरी जानकारी सत्य एवं शुद्ध है। मुझे यह विदित है, कि यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण/ तथ्य सही नहीं पाए जाते है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी ।


मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किया गया हिंदी नाम सही है, और उसमें किसी भी गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।



Please enter the code shown above


12. जन्म दिनांक आधार में सत्यापित होना अनिवार्य हैं, सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदक समग्र आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आवेदक को आधार में जन्मदिनांक सत्यापित कराना होगा।

13. समस्त जानकारी के उपरांत, घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक कर, आवेदन दर्ज करने पर अन्य राज्य के निवासी को समग्र आईडी प्रदान की जाएगी।



The screenshot shows the Samagra Portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Samagra logo and the text 'समग्र पोर्टल'. Below the navigation bar, there is a section titled 'समग्र आईडी के लिए आवेदन' (Registration for Samagra ID) with a sub-heading '(मध्यप्रदेश से बाहर के निवासियों के लिए)'. A success message is displayed in a green box: 'Success' followed by the text 'आपका समग्र पोर्टल पर अन्य प्रदेश के निवासी के रूप में पंजीयन किया जा चुका है, आपका समग्र आईडी 319930275 है।' (Your registration on the Samagra portal as a resident of another state is complete, your Samagra ID is 319930275). The message also includes the English translation: 'You have been registered as a resident of another state on the Samagra portal. Your Samagra ID is 319930275.' A 'Close' button is visible at the bottom right of the message box.

14. आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी एवं आवेदक द्वारा समग्र पोर्टल पर अपना समग्र कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।



The screenshot shows the Samagra Card download page. At the top, there is a header with the Samagra logo and the text 'समग्र पोर्टल मध्यप्रदेश शासन अन्य राज्य के नागरिकों हेतु समग्र कार्ड'. Below the header, there is a table with the following information: 'समग्र आईडी: 319930275', 'सदस्य का नाम:', 'पिता/पति का नाम:', 'जन्म दिनांक:', 'लिंग:', 'आधार के अनुसार पता:', and 'समग्र में पंजीयन की दिनांक:'. To the right of the table is a QR code. At the bottom left, there is a 'सत्यापित' (Verified) stamp from MPS@DC with the text 'कार्ड प्रिंट दिनांक: 12/07/2024 17:47:54'. At the bottom right, there is the website address 'samagra.gov.in'. At the bottom center, there are two buttons: 'Print' and 'Home'.